80

संख्या : —— /XXXVI(1)/2014–6 एक (2)/2006

प्रेषक,

मनीष मिश्र,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग– 1 देहरादून : दिनांक : 11 नवम्बर, 2014

विषयः मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा न्यायिक अधिकारियों को देय "ड्राईंगरूम का सुसज्जीकरण" के लिए गाईड लाईन का निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र सं0–154/XVII-7/Admin.A/2013 दिनांक 08.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा न्यायिक अधिकारियों को शासनादेश सं0–385/XXXVI(1)/2013-6 एक (2)/2006 टी0सी0 दिनांक 13.12.2013 में देय "ड्राईंगरूम का सुसज्जीकरण" की धनराशि ₹ 75,000/– के उपयोग हेतु नियम निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया गया था।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा न्यायिक अधिकारियों को ड्राईंगरूम सुसज्जीकरण हेतु उपरिवर्णित शासनादेश से अनुमन्य ₹ 75,000/– धनराशि के उपयोग हेतु निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किया जाता है–

1. प्रति अधिकारी ₹ 75,000/– की राशि, जिला जजी अथवा परिवार न्यायालय, यथास्थिति, के फर्नीचर एवं उपकरणों की खरीद हेतु लेखा मद–12 के अनुसार वार्षिक बजट में दी जायेगी। इस राशि की गणना किसी जिले में, उस वर्ष में जब यह भत्ता देय होगा अर्थात् प्रत्येक छः वर्ष पश्चात्, जुलाई माह के पहले दिन तक तैनात होने वाले अधिकारियों की संख्या के आधार पर की जायेगी।
2. किसी जिला या परिवार न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की संख्या के आधार पर संपूर्ण राशि, उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक बजट अथवा अनुपूरक बजट प्रदान करते समय प्रत्येक जिला जजी अथवा परिवार न्यायालय को दी जाएगी। प्रति अधिकारी ₹ 75,000/– की राशि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एकमुश्त दी जाएगी।

क्रमशः.....2

3. न्यायाधिकरणों, प्राधिकरणों, अकादमियों, आयोगों अथवा उच्च न्यायालय में तैनात न्यायिक अधिकारियों को प्रति अधिकारी ₹ 75,000/– की राशि की व्यवस्था उक्त प्रतिष्ठानों के संगत लेखा मद में की जा सकती है जिसमें से उक्त प्रतिष्ठानों के लिए फर्नीचर खरीदा अथवा क्रय किया जाता है। न्याय विभाग एवं विधायी और संसदीय मामलों में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए उत्तराखण्ड शासन के सचिवालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त दो प्रतिष्ठानों में तैनात न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक छः वर्षों में जरूरी राशि उपलब्ध कराएगा।

4. ₹ 75,000/– की राशि फर्नीचर, सजावटी सामान, इलेक्ट्रिकल सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामग्री एवं ऐसी अन्य वस्तुएं जो कि बैठक कक्ष अथवा आवासीय कार्यालय के रखरखाव हेतु आवश्यक समझी जाएं, खरीदने में प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायिक अधिकारियों को ऐसी वस्तुएं खरीदनी होंगी जो कि उनके बैठक कक्ष एवं आवासीय कार्यालय की सजावट हेतु योग्य, उपयुक्त एवं उपयोगी समझी जाएं।

5. दोनों पति–पत्नी के न्यायिक अधिकारी होने की दशा में इस सुविधा का लाभ उनमें से किसी एक के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात न्यायिक अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन रहते हुए इस सुविधा का लाभ लेने के पात्र हैं।

6. बैठक कक्ष अथवा आवासीय कार्यालय हेतु जरूरी खरीदारी करने के पश्चात् प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा समकक्ष के समक्ष एक उपयोग प्रमाण–पत्र एवं क्रय की गयी सामग्री का बिल प्रस्तुत करना होगा।

7. सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने से पूर्व छः साल का समय पूर्ण न होने पर भी यह माना जाएगा कि अधिकारी द्वारा सरकारी आवास हेतु खरीदी गई वस्तुओं ने सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अपनी आयु पूर्ण कर ली है तथा उनसे इंस संबंध में कोई आवश्यक कटौती अथवा वसूली नहीं की जाएगी बशर्ते वे वस्तुएं उनके पास सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि को कम से कम दो वर्ष तक रही हों।

8. सेवानिवृत्ति/सेवा पूर्ण होने में दो वर्ष से कम समय शेष रहने की दशा में, 75,000/– का 60 प्रतिशत प्राप्त करना अनुमन्य होगा एवं इस दशा में यह माना जाएगा कि सरकारी आवास हेतु खरीदी गई वस्तुओं ने सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अपनी आयु पूर्ण कर ली हैं तथा उससे इस संबंध में कोई आवश्यक कटौती अथवा वसूली नहीं की जाएगी।

क्रमशः.....3

9. किसी न्यायिक अधिकारी की मृत्यु की दशा में छः वर्षों का समय पूर्ण होने से पहले यह माना जाएगा कि उसके द्वारा सरकारी आवास हेतु खरीदी गई वस्तुएं उसकी मृत्यु के समय अपनी उम्र पूर्ण कर चुकी होंगी तथा दिवंगत न्यायिक अधिकारी के परिजनों से कोई वसूली नहीं की जाएगी।

10. तैनाती के कार्यकाल के पूर्ण होने पर, न्यायिक अधिकारी ₹ 75,000/– में से खरीदी गई वस्तुओं को अपने साथ ले जा सकेगा/सकेगी। खरीदी गई वस्तुओं का उचित रख–रखाव करने की जिम्मेदारी न्यायिक अधिकारी की होगी ।

3– यह, आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–162/NP/XXVII(5)/2013 दिनांक 10.11.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव

संख्या–154 (1)/XXXVI(1)/2014-6 एक (2)/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
4– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव